



Gaddi Community and Migration: A Study in Contacts of Bharmour Himachal Pradesh

1Manjeet Singh, 2Dr Digvijoy Phukan

1Research scholar, 2Assistant Professor

1Central University of Himachal Pradesh,

2Central University of Himachal Pradesh

सार

इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के जिला चम्बा जिले के अंतर्गत भरमौर जनपद में निवास करने वाली गद्दी जनजाति और उनके प्रवासन में आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया गया है इस अध्ययन के अंतर्गत मिश्रित शोध विधियों का प्रयोग किया गया है जिसमें कुल 100 परिवारों का अध्ययन किया है और साक्षात्कार एवं मार्गदर्शन और अवलोकन के आधार से तथ्यों का सकलन किया गया है अध्ययन के निष्कर्ष से पता चलता है कि वर्तमान समय में चम्बा जिले के भरमौर जनपद के अंतर्गत गद्दी समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में संरचनात्मक बदलाव पाया गया है गद्दी समुदाय के लोग अपने प्राचीन समय के परम्परागत व्यवसाय पर निर्भर न होकर अन्य व्यावसायिक कार्यों की ओर आकर्षित हुए हैं। इसके अतिरिक्त मूलभूत आवश्यकता जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, एवं आवास का बेहतर ना होने के कारण उनमें प्रवासन की प्रकृति बढ़ी है जिसका प्रभाव उनके संस्कृति पर देखा जा सकता है।

सूचक शब्द- गद्दी समुदाय, आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति, वनवासी, प्रवासन, अनुसूचित जनजातियाँ, भेड़ पालक,

परिचय वनवासी समुदाय - स्थान के आधार पर भारत में प्राचीन काल से रहने वाले लोगों को तीन समूहों में रखा जा सकता है। ग्राम में रहने वाले लोग 'ग्रामवासी', नगर में रहने वाले 'नगरवासी', और वन में रहने वाले 'वनवासी'। महात्मा गाँधी ने वनवासियों को 'गिरिजन' अर्थात् पहाड़ों पर रहने वाले लोग कहकर पुकारा है। भारतीय संविधान में वनवासियों के लिए 'अनुसूचित जनजाति' पद या शब्द का उपयोग किया गया है (पुखराज, 1986)

अनुसूचित जनजातियों" से ऐसी जनजातियाँ या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ अभिप्रेत हैं जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियाँ समझा जाता है" (भारत का संविधान) अतः इन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है (बसु। 1960)

अनुच्छेद 342 के अनुसार, "राष्ट्रपति, [किसी राज्य] या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहाँ वह राज्य है वहाँ उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, [यथास्थिति] उस राज्य [या संघ राज्यक्षेत्र] के संबंध में अनुसूचित जनजातियाँ समझा जाएगा" (भारत का संविधान) भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों को अधिकार प्राप्त हैं। (शर्मा, 2005) डॉ गुरिये के अनुसार "भारत में जनजाति पिछड़े हुए हिन्दू है" (नगला, 2015) मडोक के अनुसार "यह एक सामाजिक समूह है जिनकी अलग भाषा, संस्कृति एवं स्वतंत्र राजनीतिक संगठन है" (पुखराज, 1986)

प्रवासन : प्रवासन का साधारण शब्दों में अर्थ होता है “अपना मूल निवास छोड़कर किसी अन्य जगह बसना या रहना”। प्रवासन एक तरह का आन्दोलन है जिसमें व्यक्ति बेहतर जीवन हेतु, नौकरी हेतु अपने स्थान से दूसरे देश एवं राज्य के लिए पलायन करते हैं। प्रवासन कई कारणों से होता है। जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय कारक भी शामिल होते हैं। इस प्रकार के पलायन को भारतीय अर्थव्यवस्था की उभरती वास्तविकता के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। ये वास्तविकताएं हैं: (चंदना आरसी, 2009) प्रति व्यक्ति आय में तीव्र वृद्धि जो रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने में नाकाम रही है। असंगठित अर्थव्यवस्था का कायम रहना; और संगठित क्षेत्र का असंगठित होने की ओर बढ़ना, जिसका मतलब है नौकरीपेशा लोगों के एक बड़े हिस्से का असुरक्षित होना, उन्हें बहुत कम वेतन मिलना और अस्थिर नौकरियां करने के लिए मजबूर होना। बढ़ती क्षेत्रीय विषमताओं को पलायन के नजरिये से भी देखा जाना चाहिए। गरीब श्रमिक अक्सर विभिन्न प्रकार के काम-धंधों के जरिये अपनी आजीविका चलाते हैं (चंदना आरसी, 2009)

हिमाचल प्रदेश में वनवासी समुदाय- हिमाचल प्रदेश में धोलाधार श्रेणी व घाटी का क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों का मुख्य निवासा स्थान है। गद्दी शब्द का प्रयोग उनकी जनसंख्या तथा जन्मभूमि से प्राप्त हुआ है। उदाहरण स्वरूप हम कह सकते हैं कि जब शिव महादेव भरमौर में 84 देवी देवताओं के साथ निवास किया था और उनके बैठने के लिए गद्दी लगी हुई होती थी। जब शिव महादेव भरमौर के स्थान को छोड़कर मणिमहेश पर्वत के लिए चले गये तो वहां जो अपनी बैठने की गद्दी को वह छोड़ गये तो उसी गद्दी के आधार पर वहाँ के निवासीयों को गद्दी के नाम से जाना जाता है। वहां के निवासी को गद्दी शब्द उनकी जन्मभूमि से प्राप्त हुआ है। जिसे 'गदेरन' शब्द कहा जाता है। (अमर सिंह रणपतिया 2009) कुछ का मानना है कि 'गद्दी' जनजाति चंबा के भरमौर क्षेत्र में रहने वाली आबादी के लिए प्रयोग किया जाता है। (अनूप, 2013) संस्कृत में मिले - जुले शब्द 'गदेरन' का अर्थ हुआ भेड़ और गाडरी भेड़ पालक। अर्थात् भेड़ को पालने वाला भेड़ पालक जिसे गद्दी कहा गया

गद्दी समुदाय- गद्दी समुदाय के लोग चंबा के भरमौर क्षेत्र के निवासी हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने गद्दी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित किया है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में गद्दी समुदाय के लोगों की जनसंख्या 1,78,130 है। हिमाचल प्रदेश के गद्दीयों का लिंगानुपात 1,014 और साक्षरता दर 7313 है। गद्दी लोग भेड़ बकरी पालने का मुख्य व्यवसाय करते हैं (रणपतिया, 2010) वास्तव में भरमौर के गद्दी लाहौर और दिल्ली से भयभीत होकर भागी जातियां हैं। यह कहावत भी है कि “उजड़ा लाहौर और बसा भरमौर”। पृथ्वीराज चौहान के समय में भी आक्रांताओं से भयभीत होकर बहुत से लोग यहां पहुंचे। कुछ राजस्थान से भी आयें (सेनगुप्ता, 1990)। लाहौर से आने वाले पंजाबी खत्री थे और आज भी गद्दी खत्री वर्ग से संबंधित हैं। कहते हैं कि यह सभी व्यक्ति गद्दी जनजाति की संस्कृति से इतने घुल मिल गए हैं कि आज इनकी पहचान करना कठिन है।

पाणनी की अष्टाध्याई में गद्दी और गब्दिका प्रदेश का वर्णन आया है। कुछ इतिहासकार गद्दियों को विदेशी आक्रमणकारियों के कारण पहाड़ों की ओर भाग कर आने वाले खत्री जाति के लोग मानते हैं।

कुछ मानते हैं कि इस समुदाय के लोग आदि काल से हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं। यह परिमाण गद्दियों के परंपरागत वशिष्ठ पहनावे से प्रमाणित हो जाती है। इस अध्याय में शोधकर्ता स्थाई और अस्थायी प्रवासन पर भी चर्चा की जायेगी (रणपतिया, 2010)। गद्दी जनजाति का ग्रामीण से शहरी प्रवास मानव प्रवास के सबसे प्रचलित प्रकारों में से एक माना जाता है। ग्रामीण से शहरी प्रवास का मुख्य कारण औद्योगीकरण है। लेकिन अधिकांश तीसरी दुनिया के देशों में यह पाया गया कि मजदूरों की आपूर्ति, एक पलायन से उत्तेजित हुई ग्रामीण क्षेत्र औद्योगिक रूप से उत्पन्न मजदूरों की मांग के लिए अधिक मात्रा में है। भूमि पर जनसंख्या का दबाव भूमिहीनों को भूमिहीनता के हाशिए पर ले जाने के कारण निम्न प्रति व्यक्ति आय और बेरोजगारी ने ग्रामीण श्रमिकों को पलायन के लिए प्रेरित किया है। (बिमल मिश्री, 1995) शहरी क्षेत्र में गरीबी और झुग्गियां ग्रामीण से शहरी प्रवास के कारण उभरी हैं।

यह अध्ययन हिमाचल प्रदेश के चम्बा जनपद के भरमौर में किया गया है। शोधकर्ता ने अपने अध्ययन में यह जानने की कोशिश की है कि भरमौर जनपद की गद्दी जनजाति अपने प्रवासन के बारे में जानकारी का स्तर क्या है। इस शोध को पूरा करने के लिए भरमौर जनपद के गद्दी जनजाति के 100 परिवारों का अध्ययन किया गया है। आ। शर्मा। (2012)

साहित्य की समीक्षा

शोध कार्य के लिये महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत शोध के विषय पर पूर्व में किए गए अध्ययनों की समीक्षा किया जाता है। यह शोध कार्य को दिशा प्रदान करता है। वनवासी समाज से संबन्धित साहित्य की समीक्षा दो आधार में प्रस्तुत किया - घोरी (1943) ने तर्क दिया कि वनवासी पिछड़ी जाति के हिंदुओं से ज्यादा कुछ नहीं थे। उनके साथ हिंदुओं की बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए। वेमा (1959) ने सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों की चर्चा की है। उन्होंने सानरिया पहाड़ी माल-पहाड़िया के वनवासी लोगों के समाजिक जीवन के विभिन्न चरणों कि किया जैसे की विधवा पुनर्विवाह आदि। यास (1967) ने आंध्र प्रदेश, और गुजरात के वनवासियों का ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन को अपने तुलनात्मक अध्ययन को प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने विभिन्न राज्यों के रिवाजों और प्रथाओं में अंतर को बताया है। (1986) ने अपने शोध में गद्दी जनजाति पर विस्तृत किया है। इस में उनकी पारंपरिक पोशाक, भोजन, समाजिक और आर्थिक व्यवस्था, लोक कथाएँ, लोक गीत और उनका नृत्य भी शामिल है।

अशोक (2015) के गद्दी समुदाय पर किए गए के अनुसार वैश्वीकरण के युग में कुछ दशकों से समुदाय में कई बदलाव देखे गए हैं। अधिकतम चंबा जिले का क्षेत्र अभी भी ग्रामीण क्षेत्र है और इस क्षेत्र में कई पारंपरिक प्रथाएं पाई जाती हैं। बालोखरा (2015) ने अपने में गद्दी वनवासी समाज की जीवन शैली, परंपरा, रीति-रिवाजों के बारे में चर्चा की है। साथ ही उन्होंने उनके समाजिक और आर्थिक पहलुओं की चर्चा की है। सिंह (2016) ने हिमाचल प्रदेश जनजाति पर किया और इसमें गद्दी जनजाति को शामिल किया है। यह चंबा में रहने वाले इस समुदाय की समाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर आधारित है।

बिमल मिश्रीरी (1995) का कहना है कि हिमालय में प्रवासी पशुचारण बहुत आम है और खाना बंदोश समुदायों की संख्या यह अभ्यास करती है। उन्होंने पाया कि 30 प्रतिशत गद्दी पूरी तरह से प्रवासी है और 70 प्रतिशत लोगों ने जीवन के अर्ध-प्रवासी मोड को अपनाया है। इस लेख में मिश्रीरी यह भी कहते हैं कि गद्दी की प्रवासी प्रणाली केंद्रों के माध्यम से चले रही है। सिंह, कुलविंदर (2005) ने पाया कि देहाती गद्दी जनजातीय समाज का सर्वेक्षण हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के चार चरणों में किया गया था। जिसमें 93% घरों में पीने के पानी, 92% में बिजली और कुछ 90% सड़कों से जुड़े थे। पुरुष साक्षरता दर 80% और महिला साक्षरता दर 63% पाई थे। केवल 9% परिवार भूमिहीन थे। 63% सीमांत धारक थे। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि उप जनजातियों की तरह गद्दी राजपूतों गद्दी कपूरों और गद्दी भट्टों की अन्य उपजातियों की तुलना में बड़ी पकड़ थी विशेष रूप से गद्दी,

एट अला (2006) ने पाया कि भेड़ बकरी के झुंडों के प्रवासी और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं का उपज, लागत, आय और रोजगार की जांच करने के लिए किया गया है। वर्ष 200 -- 02 के लिए हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की असाध्य भेड़ और बकरी उत्पादन प्रणाली गद्दी जनजाति का अस्थायी या स्थायी कार्य हो सकता है! में पता चला है कि प्रवासी झुंड -वनवासी अपने मूल से पलायन करते हैं गर्मियों बरसात के मौसम और सर्दियों के दौरान तलहटी मैदानों में अधिक ऊंचाई वाली जगह पर पलायन करते हैं बी। आ। शर्मा। (2012) यह परिभाषित करता है कि भारत के वनवासी लोग भारतीय जनसंख्या का अभिन्न अंग हैं और भारतीय संस्कृति के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।

देश में अनुसूचित जनजातियों की कुल आबादी लगभग 678 मिलियन है। उनका गठन होता है कुल जनसंख्या का 8। 08% वर्तमान माध्यमिक जानकारी पर आधारित है और भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वनवासी समुदायों के उत्थान के लिए विकास की पहल की एक समग्र तस्वीर प्रदान करता है। वर्तमान हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले के भरमौर क्षेत्र में निवास करने वाली एक अनुसूचित जनजाति 'गद्दी' पर केंद्रित है। इससे पता चलता है कि कई विकास कार्यक्रमों, नीतियों और परियोजनाओं को जनजातीय लोगों की भलाई में सुधार लाने के लिए पेश किया गया है। लेकिन वनवासी विकास का मुद्दा अभी भी जीवित है। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि हमने इस संबंध में बहुत कम हासिल किया है। से पता चलता है कि पिछले 5-6 दशकों के दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा आदिवासी लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए कई विकास प्रयास किए गए हैं ! जिसमें गद्दी के भरमौर क्षेत्र भी शामिल हैं।

कटोच, अनूप (2013) वर्तमान जांच हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में गद्दी समुदाय की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा का आकलन करने और उनकी कथित व्यावसायिक समस्याओं की पहचान करने के लिए की गई थी। 100 उत्तरदाताओं का एक नमूना चुना गया था ! भरवाना विकास खंड के छह बेतरतीब ढंग से चयनित गांवों से आनुपातिक यादृच्छिक नमूना तकनीक के माध्यम से किया गया। आंकड़ों को व्यक्तिगत रूप से संरचित साक्षात्कार अनुसूची की सहायता से एकत्र किया गया था। परिणामों से पता चला है कि अधिकांश आबादी कृषि को अपने प्रमुख व्यवसाय के रूप में साक्षर कर

रही थी। उत्तरदाताओं में से अधिकांश के पास सीमांत भूमि पर कब्जा था और फार्म इनपुट की उच्च आपूर्ति, इनपुट की उच्च लागत तकनीकी ज्ञान और प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी के रूप में क्रमशः उनकी पहली तीन कृषि समस्याएं थी। गद्दी जनजाति पर कई तथा शोध किए गए हैं। जिनमें ये पाया गया है कि हिमाचल प्रदेश में रहने वाली गद्दी जनजातियों की अपनी संस्कृति तथा सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था थी जो समय के साथ-साथ बदलती गयी।

अनुसंधान के प्रश्न - गद्दी जनजाति निचले हिमालय की अपेक्षा उपरी हिमालय जैसे (चंबा और कांगड़ा) में प्रवास क्यों करती हैं ? गद्दी जनजाति को किन - किन प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ?

अनुसंधान के उद्देश्य- गद्दी समुदाय की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थित को वर्तमान समय में देखना गद्दी समुदाय की प्रवासन से जुड़ी आर्थिक कारणों का अध्ययन **शोध पद्धति** मनुष्य एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्राणी है। परंतु केवल जिज्ञासा बस किए अध्ययन को हम वैज्ञानिक शोध की श्रेणी में नहीं रख सकते जब तक कि वह एक मान्य, व्यवस्थित एवं तार्किक विधि से न किया गया हो। अध्ययन की इसी प्रक्रिया को शोध- प्रविधि के रूप में जाना जाता है। (कुमार, 2017) **शोध अभिकल्पना**- शोध अभिकल्पना शोध के प्रश्नों के वैधतापूर्ण, ईमानदार और सटीक उत्तर देने के लिए अपनाई जाती है। शोध हेतु **वर्णनात्मक अनुसंधान** का प्रयोग किया गया है। **वर्णनात्मक अनुसंधान** में व्यवस्थित रूप से किसी परिस्थिती, समस्या, घटना, सेवा अथवा कार्यक्रम का वर्णन किया जाता है (कुमार, 2017) इस शोध में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला की गद्दी जनजाति के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया गया है; अतः इस शोध के लिए वर्णनात्मक अनुसंधान उपयुक्त है।

नमूना चयन गैर संभावना प्रतिदर्शन के माध्यम से होगा। इसके अंतर्गत सोद्देश्य नमूना चयन विधि से इस शोध के लिय नमूना चयनित किया गया। इस विधि में शोधकर्ता जानबूझकर ऐसे व्यक्तियों को चुनता है, जो नमूना सदस्यों के लिए कुछ उपयुक्त विशेषता के बारे में अपने निर्णय में, अनुसंधान विषय के लिए प्रासंगिक माने जाते हैं और उनके लिए आसानी से उपलब्ध हैं (आहूजा, 2001)

नमूना चयन की प्रक्रिया चार चरणों में होगी। इस प्रकार का नमूनाकरण बड़ी आबादी को चरणों में विभाजित करता है ताकि नमूना प्रक्रिया को और अधिक व्यावहारिक बनाया जा सके। इसके आधार पर पहले हिमाचल प्रदेश के बारह जिलों से उन जिलों का चयन किया गया जिनमें गद्दी समुदाय का लोग रहते है। दूसरे चरण में चंबा जिला का चयन किया गया। और तीसरे चरण में चंबा जिला के कुल 1 तहसील से भरमौर तहसील को चयनित किया जाएगा। चौथे और अंतिम चरण में भरमौर तहसील से 100 परिवारों का चयन किया गया है।

शोध के विषय पर जानकारी दो प्रकार के स्रोतों से प्रकट है : प्राथमिक स्रोत: यह गद्दी समुदाय के परिवारों के मुखिया के साक्षात्कार के द्वारा प्राप्त किया गया है प्रस्तुत लघु शोध-प्रबंध में प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु साक्षात्कार तथा अवलोकन पद्धति का प्रयोग किया गया है।

द्वितीयक स्रोत: गद्दी समुदाय पर लिखी पुस्तकों प्रकाशन जैसे विभिन्न स्रोतों के माध्यम से भी सूचना एकत्र किया गया है। **नमूना प्रदर्शनविधि** अवलोकन एवं साक्षात्कार पद्धतियों से संख्यात्मक एवं गुणात्मक सूचना का संग्रह किया गया है

सूचना संग्रह के उपकरण शोध में सूचना का संग्रह निम्नलिखित उपकरणों के माध्यम से किया गया है जो की दो आधार के कार्य किया गया है : 1. साक्षात्कार अनुसूची 2. साक्षात्कार मार्गदर्शिका का साक्षात्कार अनुसूची में शोध के उद्देश्य के आधार पर पूर्वनिर्धारित प्रश्न होंगे जिन्हें शोधार्थी स्वयं उत्तरदाता से प्राप्त किया है। साक्षात्कार मार्गदर्शिका के द्वारा गद्दी समुदाय से संबन्धित गुणात्मक सूचना संग्रह किया गया है। इसमें विषय या चर्चा के बिंदु होंगे जो एक स्मरण दिलाने का कार्य किया गया है (रंजीत कुमार, 2017)

आकड़ों का विशलेषण और प्रदर्शन की विधि- एकत्रित आकड़ों का विशलेषण माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एवं एस। पी। एस। एस के द्वारा किया गया है। आकड़ों का परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विशलेषण किया गया है।

प्रवासन करके निवास बनाने के सम्बन्ध में यह अध्ययन हिमाचल प्रदेश के चम्बा जनपद के भरमौर में किया गया है। शोधकर्ता ने अपने अध्ययन में यह जानने की कोशिश की है कि भरमौर जनपद की गद्दी जनजाति अपने प्रवासन के बारे में जानकारी का स्तर क्या है। इस शोध को पूरा करने के लिए भरमौर जनपद के गद्दी जनजाति के 100 परिवारों का अध्ययन किया गया है।

प्रवासन के आधार पर सदस्यों का वितरण

प्रतिक्रिया	आकृति	प्रतिशत
1700	47	47.0
1800	25	25.0
1900	15	15.0
इनमे से कोई नहीं	13	13.0
कुल	100	100.0

सारणी 1.1

इस अध्ययन में गद्दी जनजाति के 100 परिवारों का साक्षात्कार किया गया है। आरेख 1.3 से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 47 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि वह 17 वीं शदी से उनका निवास स्थान रहा है जबकि 25 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि 1800 वीं शदी से निवास स्थान रहा है वहीं 15 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि 19 शदी से निवास स्थान रहा है। शेष 13 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि वह इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं रखते है।

प्रवास के कारण:

ग्रामीण से शहरी प्रवास मुख्य रूप से मानव प्रवास के सबसे प्रचलित प्रकारों में से एक माना जाता है। ग्रामीण से शहरी प्रवास का मुख्य कारण औद्योगीकरण का विकास है लेकिन इसमें पाया गया है कि अधिकांश तीसरी दुनिया के देश जो ग्रामीण क्षेत्र से पलायन से उत्तेजित मजदूरों की आपूर्ति करते हैं। जनसंख्या की अधिकता एवं भूमिहीनता के कारण प्रति व्यक्ति आय कम होने एवं बेरोजगारी और बेरोजगारी ने ग्रामीण श्रम को शहरी क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रवास के कारणों को वर्गों में वर्गीकृत किया गया है समूह - कार्य रोजगार व्यवसाय, शिक्षा, विवाह, जन्म के समय, साथ चले गए परिवार और अन्य। (चंदना आरसी, 2009)

गद्दी जनजाति समूह के बीच प्रवास के कारणों के आधार पर उत्तरदाताओं का वितरण:

प्रतिक्रिया	आकृति	प्रतिशत
शिक्षा	27	27.0
यातायात	32	32.0
स्वास्थ्य	25	25.0
इनमे से कोई नहीं	16	16.0
कुल	100	100.0

आरेख 1.2

आरेख 1.2 से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 32 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यातायात हेतु पलायन किया जबकि 27 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने शिक्षा के लिए पलायन किया है वहीं 25 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वास्थ्य हेतु पलायन किया है। शेष 16 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई कारण स्पष्ट नहीं किया है।

गद्दी जनजाति समूह का प्रवासन और तथ्य;

तथ्य (fact) ऐसा कथन होता है जो वास्तविकता के अनुकूल हो या जिसे साक्ष्य के प्रयोग द्वारा साबित किया जा सके कि तथ्य की सच्चाई परखने के लिए उसके लिए प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं। जिनके लिए मान्य सन्दर्भों व स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक तथ्यों को ऐसे निरीक्षणों और मापन से प्रमाणित करा जाता है जिसमें ज्ञात प्रक्रियाओं द्वारा दोहराकर बार-बार भिन्न लोगों द्वारा परखा जा सके और तथ्य लोगो को किसी भी तरह के परीक्षण या ज्ञान को समझने में है रानीयत का भाव पैदा करता है।

प्रतिक्रिया	आकृति	प्रतिशत
स्वस्थ	23	23.0
शिक्षा	19	19.0
आजीविका	40	40.0
इनमे से कोई नहीं	18	18.0
कुल	100	100.0

आरेख: 1.3

गद्दी जानजाति समूह के संदर्भ में शोधकर्ता ने यह जानने का प्रयास किया है कि वे कौन-कौन से तथ्य हैं जिसके माध्यम से भरमौर जनपद के गद्दी जनजाति को प्रवासन करना पड़ा है। इस सम्बन्ध में सर्वाधिक 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि आजीविका के लिए प्रवासन करना पड़ा जबकि 23 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि स्वास्थ्य सुविधा न उपलब्ध होने के कारण प्रवासन करना पड़ा वहीं 19 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि शिक्षा हेतु प्रवासन करना पड़ा है। शेष 18 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वयं की इच्छा के कारण प्रवासन किया है।

बुनियादी आवश्यकता के विकास के सम्बन्ध में:

किसी भी समुदाय के लिए उसका बुनियादी विकास मूलभूत रूप से सतत मूल्य सृजन से होता है। यदि उस समाज में ऐसी क्षमता है कि उस समाज द्वारा सृजित उत्पाद और सेवाएं दूसरों के लिए अधिक मूल्यवान हैं तो उस समाज ने अपने समाज के लिए ही नहीं वरन उस समाज ने सम्पूर्ण देश के लिए विकास किया है। भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन के समय गांधी जी ने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा की कल्पना की थी। आज जिसे विश्वविद्यालय स्तर पर "फाउंडेशन कोर्स" कहा जाता है। उसकी पृष्ठभूमि में गांधी की बुनियादी अर्थात् बेसिक शिक्षा ही तो थी।

शिक्षा के सम्बन्ध में गांधीजी का दृष्टिकोण वस्तुतः व्यावसायिक था। उनका मत था कि भारत जैसे गरीब देश में शिक्षार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के साथ-साथ कुछ धनोपार्जन भी कर लेना चाहिए जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने वधि शिक्षा योजना बनाई थी।

बुनियादी आवश्यकता के आधार के सम्बन्ध में:

प्रतिक्रिया	आकृति	प्रतिशत
हाँ	32	32.0
ना	68	68.0
कुल	100	100.0

आरेख:1.4

आरेख 1.4 से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 68 प्रतिशत उत्तरदाताओं कि बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है जबकि 32 प्रतिशत उत्तरदाताओं की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाई है।

गद्दी जनजाति समुदाय की मुख्य समस्या के संबंध में:

जनजातियाँ वह मानव समुदाय हैं जो एक अलग निश्चित भू-भाग में निवास करती हैं और जिनकी एक अलग संस्कृति, अलग रीति-रिवाज, अलग भाषा होती है तथा ये केवल अपने ही समुदाय में विवाह करती हैं। सरल अर्थों में कहें तो जनजातियों का अपना एक वंशज, पूर्वज तथा सामान्य से देवी-देवता होते हैं। ये अमूमन प्रकृति पूजक होते हैं।

गद्दी जनजाति की परंपरा, पहाड़ी, वातावरण के अनुकूल है। कृषि और देहातीवाद के माध्यम से ऐतिहासिक रूप से परिस्थितियों और घटनाओं ने अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन वे भी पारिस्थितिक कारकों से प्रभावित थे। गंतव्य के स्थान पर उन्हें आवास, शिक्षा जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी वे सोने खाने पीने को प्रकाश भी नहीं बना सकते हैं। इस प्रकार की स्थितियों में उन्हें बकरी के दूध पर जीवित रहना पड़ता है। कुछ जंगल के जानवर या चोर वहा पर आकर झुंड से भड़े और बकरी को भी खा जाते हैं।

आरेख:1.5 गद्दी जनजाति समुदाय के समस्याओं के संबंध में स्थिति:

प्रतिक्रिया	आकृति	प्रतिशत
स्वास्थ्य	15	15.0
शिक्षा	20	20.0
परिवहन	29	29.0
आजीविका	18	18.0
भूगोलिक परस्थिति	16	16.0
इनमे से कोई नहीं	2	21.0
कुल	100	100.0

आरेख 1.5

आरेख 1.5 से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 29 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उन्हें परिवहन की समस्या का सामना करना पड़ता है जबकि 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है उन्हें शिक्षा प्राप्ति की मुख्य समस्या मानते हैं 18 प्रतिशत उत्तरदाता आजीविका को समस्या मानते हैं वहीं 15 प्रतिशत उत्तरदाता स्वास्थ्य को समस्या मानते हैं। शेष 2 प्रतिशत उत्तरदाता कोई भी समस्या नहीं मानते हैं।

विश्लेषण एवं निष्कर्ष

शोध एक वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित प्रक्रिया होता है। शोध की पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख कार्य प्राप्त आकणों का विश्लेषण कर निष्कर्ष की व्याख्या करना तथा उस शोध से संबंधित सुझाव एवं सिफारिशों को प्रस्तुत करना होता है।

वर्तमान अध्ययन में हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के भरमौर जनपद में रहने वाली गद्दी समुदाय के विषय वस्तु पर बल दिया जा रहा है। उसकी समाजिक एवं आर्थिक ढांचा की जांच करना था हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति किस प्रकार से अपनी समाजिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करती है। इस शोध का मुख्य उद्देश्य है उन्हें ब्राह्मणों, राजपूतों, ठाकुर जैसे विभिन्न “जाति” में बांटा गया है। ताकि हिंदू सामाजिक रूप से व्यवस्थित रहें। उन समुदायों का एक ही समूह था जो कई समाज को अलग अलग पीढ़ियों में विभाजित है। इन दोनों ने अलग-अलग आवासों के जवाब में सांस्कृतिक रूप

गद्दी जनजाति निचले हिमालय की अपेक्षा उपरी हिमालय जैसे (चंबा और कांगड़ा) में प्रवास क्यों करती हैं? अगर हम गद्दी समुदाय के निवास घरों के प्रकार पर विचार करें तो हमें मूल स्थान पर दो प्रकार मिलते हैं कच्चा मकान और पक्का मकान। बहुसंख्यक उत्तरदाताओं के पास कच्चा मकान जो की 74% और पक्का मकान 26% है। इसलिए हम ध्यान दे तो पाते हैं कि जिला चंबा के भरमौर जनपद के उत्तरदाता मुख्य रूप से देखा जाये तो अभी भी वहाँ पर रहने की बेहतर सुविधाओं का आभाव पाया गया

गद्दी जनजाति को किन - किन प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ?

गद्दी जनजाति प्रजनकों को आराम करने और अपने समूह को सुरक्षित रखने के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें यहां और वहां रहना भटकना पड़ता है प्रवासन के दौरान जब तक एक निश्चित स्थान तक नहीं पहुँच जाता। प्रवासन के समय गद्दी जनजाति को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे व्यवसाय, शिक्षा, संस्कृति परिवर्तन, भाषा, आश्रय, भूमि हासिल करने के संदर्भ में समस्याएं आदि गद्दी जनजाति के प्रजनकों की समस्या का सामना करना पड़ता है ऐसा करने से वे उचित चरागाहों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं।

अन्य समस्याएं जैसे खाद्य पदार्थ, कपड़ा, भाषा, संस्कृति, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि से जुड़ी है। गद्दी संस्कृति राज्य और देश के बाकी आबादी के संबंध में अनूठी संस्कृतियों में से एक है। विवाह प्रणाली, पोशाक ढांचा, भाषा, विश्वास, रीति-रिवाज, लोक नृत्य और लोक गीत हिमाचल प्रदेश की अन्य आबादी से पूरी तरह से अलग हैं।

निष्कर्ष

ऐतिहासिक रूप से अनेक जगहों पर निवास करने वाली गद्दी जनजाति का जुड़ाव एक ही है। इस समुदाय की अधिकतर जनसंख्या प्राथमिक (कृषि एवं पशुपालन) पर निर्भर है परन्तु आधुनिक समय में ये अन्य व्यवसायों के विकल्प की भी तलाश कर रहे हैं। इसका प्रमुख कारन सूचना एवं संचार तकनीकों का विकास है। गद्दी जनजाति की उपरी हिमालय से प्रवासन करने के पीछे अध्ययन में जो सामने आया है वह है कि ये लोग अपनी बुनियादी सुविधाओं की पूर्ति के लिए अपने मौलिक स्थान से प्रवासन करते हैं गद्दी जनजाति की प्रमुख समस्या के रूप में आधारभूत आवश्यक चीजों का आभाव पाया आया गया। दूर दराज की पहाड़ियों में निवास करने के कारण इनके पास सरकारी योजनाओं का नहीं पहुंच पाना भी एक प्रमुख समस्या का कारण है जिससे इस समुदाय में प्रवासन होता है

संदर्भ सूची

चौधरी, एसके (2004)। जनजातीय विचारधारा। दिल्ली: रावत पब्लिकेशन

क्रिस्टीना, एना (1989)। उच्च दरों पर: हिमालय में वर्षा। लंदन: अग्रेंटिस हॉल प्रेस।

क्लेघोर्न, एच। (1864)। पंजाब और पश्चिमी हिमालय के वन पर रिपोर्ट थॉमसन सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की

कोरी, बीपी (1995)। भारत में दलित बच्चे के लिए मानव विकास सूचकांक। सामाजिक संकेतक अनुसंधान खंड। 34, नंबर 3, 395-409।

फेयरचाइल्ड, एचपी (1913)। इमिग्रेशन: ए वर्ल्ड मूवमेंट एंड इट अमेरिकन महत्वा मिशिगन विश्वविद्यालय: मैकमिलन

फर्थ, आर। (1951)। सामाजिक संगठन के तत्वा। लंडन।

गांगुली, एस। (1982)। कलकत्ता का रिकशा-पुलर। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक। चंबा राज्य का गजेटियर। (1904) 71। नई दिल्ली, 1996 (पुनर्मुद्रण)। हैरिस, जेआर, और टोडारो, सांसद (1970)। प्रवासन, बेरोजगारी और विकास:

इंडियन एक्सप्रेस। (1993, 8 अप्रैल)। गद्दी की जड़ें एक अनोखी जाति के मिश्रण के लिए निकलीं। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, भारतीय।

(2002)। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन रिपोर्ट। न्यूयॉर्क: आर्थिक विभाग और सामाजिक मामलों।

इसाक, जे। (1947)। प्रवासन का अर्थशास्त्र। लंदन: केगन पॉल, ट्रेच, टूबनेर और कंपनी लिमिटेड।

जगलान, एमएस, और ठाकुर, बीआर (2006)। में बदलते फसल पैटर्न की पारिस्थिति की हिमाचल प्रदेश का भरमौर आदिवासी क्षेत्र। जे। हमा इकोला,

जितेंद्रन, केपी, और भट, टीके (2001)। महामारी विज्ञान और परजीवीवाद का नियंत्रण हिमाचल प्रदेश में खानाबदोश स्थिति। हिमालयी पारिस्थितिकी,

कपूर, ए। कंवल, पी। और शर्मा, एना (2008)। गद्दी जनजाति की हस्तशिल्प विरासत हिमाचल प्रदेश।

कटोच, ए। (2013)। हिमाचल प्रदेश की गद्दी जनजाति की कृषि समस्याएँ एग्रिका विज्ञान। डाइजेस्ट, 33 (1), 42-कौशल, एम। (2001)। लैंडस्केप को विभाजित करना - गद्दी और उसकी भूमि। भारत इंटरनेशनल सेंटर त्रैमासिक, 27/28, अबूझा।

कायस्थ, एसएल (1992)। वन और पारिस्थितिकी हिमालय की। पहाड़ की गतिशीलता जियोसिस्टम, पीपी। 26-39।

ली, ईएस (1966)। प्रवास का सिद्धांत। जनसांख्यिकी।

मजूमदार, डीएन (1937)। संक्रमण में एक जनजाति: संस्कृति पैटर्न में एक अध्ययन। कलकत्ता।